रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082022-238152 CG-DL-E-17082022-238152

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3705] No. 3705] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022 सं. 27/2015—2020

का.आ. 3879(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015—2020 के पैरा 1.02 के साथ पिठत यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा चावल (बासमती और गैर—बासमती) के निर्यात हेतु आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची—2 की क्रम सं. 55 और 57 पर नीतिगत शर्त को संशोधित करने वाली दिनांक 23.03.2022 की अधिसूचना सं. 61/2015—20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अध्याय 10 में क्रम सं. 55 और 57 की मौजूदा प्रविष्टियों में निम्नलिखित नीतिगत शर्त को संशोधित किया जाएगा/जोड़ा जाएगाः

| <u>क्र</u> . | आईटीसी | मद विवरण | निर्यात | वर्तमान नीतिगत शर्त | संशोधित नीतिगत शर्त |
|--------------|-----------|-----------------|---------|------------------------------|------------------------------|
| स. | (एचएस) | | नीति | | |
| | कोड | | | | |
| 55 | 1006 2000 | गैर–बासमती चावल | मुक्त | • यूरोपीय संघ के सदस्य | • यूरोपीय संघ के सदस्य |
| | 100630 | | | राज्यों और यूरोपीय देशों, | राज्यों और यूरोपीय देशों, |
| | 1006 3010 | | | नामतः यूनाइटेंड किंगडम, | नामतः यूनाइटेंड किंगडम, |
| | 1006 3090 | | | आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे | आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे |

5562 GI/2022 (1)

| | 1006 4000 | बासमती चावल | मक्त | और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। • निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2022 से अनिवार्य होगा। | और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। • निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2023 से अनिवार्य होगा। |
|------|-----------|--|-------|--|--|
| 5/ 1 | 1006 3020 | बासमती चावल (डीहस्क्ड ब्राउन), सेमीमिल्ड, मिल्ड दोनों पारख्वायल्ड अथवा रॉ कन्डिशन में | मुक्त | यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जुलाई, 2022 से अनिवार्य होगा। | यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण परिषद / निर्यात निरीक्षण प्रमाणपत्र शेष यूरोपीय देशों को किए जाने वाले निर्यात हेतु दिनांक 1 जनवरी, 2023 से अनिवार्य होगा। |

3. अधिसूचना का प्रभावः

मौजूदा अधिसूचना सं. 16/2015—20 दिनांक 23.03.2022 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि केवल यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकस्टेंस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड को चावल (बासमती और गैर—बासमती) का निर्यात करने के लिए ईआईए/ईआईसी से निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। 1 जनवरी, 2023 से शेष यूरोपीय देशों (यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकस्टेंस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड को छोड़कर) को निर्यात करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण से निरीक्षण प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

[फा. सं. 01/91/171/35/एएम-20/ईसी/ई-18655] संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

Department of Commerce (Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2022 No. 27/2015-2020

S.O. 3879(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended read with para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment to the **Notification No. 61/2015-2020 dated 23.03.2022** by amending by amending the policy condition at Sl. No. 55 and 57, Schedule 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 for export of rice (Basmati and Non-Basmati).

2. The following policy conditions shall be amended/added to the existing entries of Chapter 10 at Sl. No. 55 and 57:-

| S.No | ITC (HS) | Item | Export | Present Policy Condition | Revised Policy Condition |
|------|--|---|--------|---|--|
| | Code | Description | Policy | | |
| 55 | 1006 2000 1006 30 1006 3010 1006 3090 1006 40 00 | Non-Basmati Rice | Free | Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council/Export Inspection Agency'. Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspection Council/ Export Inspection Agency shall be mandatory for export to remaining European countries with effect from 1st July, 2022 | Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council/Export Inspection Agency' Certificate of Inspection by Export Inspection Council/ Export Inspection Council/ Export Inspection Council/ Export Inspection Agency shall be mandatory for export to remaining European countries with effect from 1st January, 2023 |
| 57 | 1006 3020 | Basmati Rice (Dehusked (Brown),semimilled, milled both in either par-boiled or raw condition. | Free | Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency. Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Council / Export Inspection Council / Export Inspections Agency shall be mandatory for export to remaining European countries with effect from 1st July, 2022 | Export to EU Member States and European countries namely United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland permitted subject to issuance of Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency. Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Council / Export Inspection Council / Export Inspections Agency shall be mandatory for export to remaining European countries with effect from 1st January, 2023 |

3. Effect of notification:

The Notification No. 61/2015-20 dated 23.03.2022 is amended to the extent that export of Rice (Basmati and Non-Basmati) to EU member states and other European Countries namely United kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland only will require Certificate of Inspection from EIA/EIC. Export to remaining European countries (except United Kingdom, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) will require Certificate of Inspection by Export Inspection Council / Export Inspection Agency for export from 1st January, 2023.

[F. No. 01/91/171/35/AM20/EC/E-18655]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.